पत्रांक–1 / वि01–07 / 2019 1380 /

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

प्रेषक,

तारानन्द महतो वियोगी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी निदेशक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
निदेशक, बिहार संग्रहालय, पटना
कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, पटना,
निदेशक –सह– सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना,
प्रशासी पदाधिकारी, भारतीय नृत्य कला मंदिर,
सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना,
सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना,
जिला खेल पदाधिकारी, पटना सह प्रबंधक, पाटलिपुत्र खेल परिसर,
सभी जिला खेल पदाधिकारी, बिहार,
अपर निदेशक, पटना संग्रहालय, पटना,
सभी सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, बिहार राज्य स्थित विभागीय संग्रहालय,
प्रबंधक, मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्रनगर, पटना एवं
विभाग के नियंत्रणाधीन अन्य प्रतिष्ठान।

पटना, दिनांक 25/11 / 2019

विषय :– दिनांक 26.11.2019 को संविधान दिवस मनाने के संबंध में।

प्रसंग :– विशेष सचिव, गृह (विशेष) विभाग का पत्रांक–12606 दिनांक 22.11.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि दिनांक 26.11.2019 को राज्य के सभी कार्यालय (क्षेत्रीय एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित), प्रतिष्ठानों, इकाईयों एवं स्वायत्त संस्थानों में संविधान दिवस के अवसर पर पूर्वाह्न 11.00 बजे संविधान की प्रस्तावना पढ़ा जाना है। प्रस्तावना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

निदेशानुसार कहना है कि संविधान की प्रस्तावना पढ़े जानेवाले स्थल पर संविधान दिवस से संबंधित एक बैनर लगाया जाय तथा पढ़े जानेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का फोटोग्राफ / रिपोर्ट ई–मेल jsst-doj@gov.in/dirj1-doj@gov.in/secart-bih@nic.in पर प्रेषित किया जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25.11.19

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

# भारत का संविधान

उद्देशिका।

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में *आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी)* को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

---

[1]संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2]संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।